"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 जून 2014 — आषाढ़ 5, शक 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-15/2009/नौ/55. — खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. एफ 25-15/2009/नौ/55, दिनांक 08 जुलाई, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, को तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

क्रमांक एफ 25-15/2009/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-6-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th June 2014

NOTIFICATION

No. F 25-15/2009/IX/55. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Food Safety and Standard Act, 2006 (No. 34 of 2006) and in supersession of Department's Previous Notification No. F 25-15 2009/IX/55, dated 08th July, 2013, the state Government, hereby, appoints Additional Chief Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of Chhattisgarh, as Commissioner, Food Safety for the whole State of Chhattisgarh, with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. S. TYAGI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.